कार्मिक शाखा

भारतीय रेल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल संगठन है तथा एक ही प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाले सर्वाधिक कर्मचारियों को लेकर विश्व का अकेला सबसे बड़ा संगठन है। कार्मिक शाखा द्वारा मंडल स्तर पर इतने सभी कर्मचारियों के हितों की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कार्मिक शाखा मानती है कि मानव संसाधन ही किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी और राष्ट्र का सर्वोत्तम धन होता है जिनके बिना किसी संगठन का संचालन कर पाना संभव नहीं है।

कार्मिक शाखा द्वारा समय पर सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन,भविष्य निधि,उपदान आदि का भी भुगतान किया जाता है तथा उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए समय-समय पर पेंशन अदालतों का भी आयोजन किया जाता है।

कार्मिक शाखा द्वारा विभिन्न अवसरों पर कल्याणकारी कार्यक्रम, सरकारी समारोह तथा कैंप आदि भी आयोजित किए जाते हैं।

कर्मचारियों को आवास आबंटित करना,पास,पी.टी.ओ. पहचान-पत्र,मेडिकल कार्ड आदि भी कार्मिक शाखा द्वारा ही जारी किए जाते हैं। सभी कर्मचारियों के सेवा संबंधी अभिलेख भी कार्मिक शाखा द्वारा संरक्षित रखे जाते हैं तथा विभिन्न अनुशासनिक मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है जिससे संगठन में अनुशासन का वातावरण सुनिश्चित किया जाता है।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए गठित विभिन्न मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतराल पर स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकें आयोजित कर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को भी सुलझाया जाता है जिससे कर्मचारियों और रेल प्रशासन के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध का निर्माण होता है जो किसी भी संगठन की प्रगति के लिए सबसे जरूरी होता है तथा उसका प्रभाव पूरे संगठन के कार्य-निष्पादन पर पड़ता है। सेवा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण रेल संगठन में इसका महत्व अधिक है।

कर्मचारियों को तत्काल और बेहतर सेवा प्रदान करने तथा पारदर्शिता के उद्देश्य से पुणे मंडल की कार्मिक शाखा द्वारा विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण भी शुरू किया गया है जिसका कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया है।

केवल रेल कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी रेल संगठन का अभिन्न हिस्सा होते हैं तथा उनके सुख-दुख में उनका साथ देने के लिए कार्मिक शाखा में समाज एवं कल्याण निरीक्षक भी तैनात किए जाते हैं जो रेल परिवार के सभी सदस्यों को कठिनाई की घड़ियों में सहायता प्रदान करते हैं तथा उनके हितों को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने में सेतु का कार्य करते हैं।

इस तरह कार्मिक विभाग रेल संगठन के सुव्यवस्थित कार्य संचालन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नए भर्ती होने वाले रेल कर्मीयों के लिए मार्गदर्शिका

अ.क्र.	विषय	पृ.सं.
1.	नियुक्ति	4
2.	रेलसेवा (आचरण) नियम 1966	4
3.	कर्मचारीचार्टर	10
4.	पुणेमंडलद्वाराविकसितरेलकार्मिकएप	12
5.	संभावितपारस्परिकस्थानांतरण	14
6.	प्रारंभिकनियुक्तिपरवेतनसंरचना	16
7.	भत्ते	16
8.	आवासआंबटन	21
9.	कार्यरतकर्मचारियोंकेलिएसुविधाएं	21
10.	कर्मचारीहितलाभनिधि	25
11.	अवकाशगृह	28
12.	राष्ट्रीयपेंशनयोजना	29
13.	सामूहिकबीमा	30
14.	सेवानिवृत्तउपदान	30
15.	मृत्युउपदान	30
16.	छुट्टीकानकदीकरण	31
17.	वित्तियप्रबंधककारख-रखावकैसेकरें ?	32
18.	प्रधानमंत्रीजीवनज्योतिबीमायोजना (पीएमजेजेबीवाई)	36

19.	प्रधानमंत्रीसुरक्षाबीमायोजना (पीएमएसबीवाई)	37
0.	स्वास्थ्य	38
21.	बार-बारपूछेजानेवालेप्रश्न	40
22.	जहां समृध्दि ही जीवनहै	43

भारतीय रेल आपको इस महान संगठन से जुडने पर गौरन्वानित महसूस करती है। भारतीय रेल का 160 वर्ष से अधिक का गरिमामय इतिहास वर्तमान तथा अन्य मूर्त और अमूर्त ऐतिहासिक धरोहर संजोए हुए है। वर्षों से भारतीय रेल खास राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर को संजोती है। भारतीय रेल की पहुंच सुरक्षित और उद्योगों को बढ़ाने, लोगों को गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने और आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर को जीवंत बनाए रखने में सहायक है। यह हमेशा संगठित, समर्पित स्टाफ के प्रयासों से ही संभव हुआ है।

मध्य रेल (संक्षिप्त नाम CR और मध्य) भारतीय रेल के 16 क्षेत्रीय रेलो में से एक है। जिसका मुख्यालय मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर है जहां से पहली पैसेंजर गाड़ी मुंबई से ठाणे के लिए 16 अप्रैल, 1853 को चली थी। मध्य रेल महाराष्ट्र के बड़े भू-भाग को कवर करने के साथ ही दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वीय कर्नाटक तक फैली हुई है। यह पांच मंडलों मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे द्वारा संचालित की जाती है।

<u>लक्ष्य</u>

हम:-

- रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेल संपत्ति का बचाव और संरक्षा करेंगे।
- भारतीय रेल में यात्रा करने वाली जनता की संरक्षा, सुरक्षा और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे ।

उद्देश्य

हम:-

- रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र तथा रेलवे की संपत्ति को अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए अथक संघर्ष जारी रखेंगे।
- गाडियों, रेल परिसरों तथा यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटा कर यात्रियों की यात्रा सुविधापूर्ण और सुरक्षित बनाएंगे।
- महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के प्रति सतर्क रहेंगे तथा रेलवे क्षेत्र में पाए जाने वाले निराश्रित बच्चों के पुनर्वास की उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।
- भारतीय रेल की छवि और दक्षता को बेहतर बनाने के लिए रेलवे के दूसरे विभागों के साथ बेहतर तालमेल रखेंगे।

160 वर्षों से अधिक के स्वर्णिम इतिहास के साथ भारतीय रेल की एक बड़ी मूर्त और अमूर्त विरासत है। भारतीय रेल का भारत की राष्ट्रीय विरासत में एक विशेष स्थान है। गत वर्षों में भारतीय रेल द्वारा अपनी औद्योगिक और जीवंत विरासत को आने वाली पीढियों के लिए सुरक्षित रखने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रेल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों में शामिल होने का भी गर्व है जिनमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (1999), निलगिरी पर्वतीय रेलवे (2005), काल्का-शिमला रेलवे (2008) तथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई (2004) सम्मिलित है। इसके अलावा दो और स्थल अर्थात् माथेरान लाइट रेलवे और कांगड़ा घाटी रेलवे भी इसके लिए प्रतिक्षासूची में है। भारतीय रेल के पास भवनों, पुलों, सेतुओं आदि को बनाने में विरासत की एक बड़ी फेहरिस्त भी है। लगभग 25 पुलों, 70 भवनों को भारतीय रेल की विरासत के लिए नामांकित किया गया है जिनमें कलकत्ता के पास जुबिली पुल, नैनी के पास यमाना पुल, सौननगर पुल, पामबन सेतु, बांद्रा उपनगरीय स्टेशन, प्रताप विलास पैलेस, वड़ोदरा, ग्लैंनोगल बंगला, मुंबई, दक्षिण पूर्व रेलवे (पहले बंगाल-नागपुर रेलवे) मुख्यालय, कोलकत्ता प्रमुख हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्मित इन विरासतों को संरक्षित रखने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

हालही में रेल विरासतों के संरक्षण को संगठित बनाने के कई प्रयास शुरू किए गए हैं जिनमें रेल संग्रहालयों को अधिक आकर्षक बनाना, रेल विरासत पर्यटन को बढावा देना, भाप की अधिक गाडियां चलाना, विरासत की सूचियों का संकलन तथा उन्हें वेबसाइट पर प्रदर्शित करना शामिल है जिसके लिए मेसर्स गुगल के साथ सहयोग कर उन्हें डिजिटलीकृत ऑनलाइन उपलब्ध कराना है जिससे संग्रहालयों में उनकी सूची और उन्हें दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकें। रेलवे अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने तथा उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि के लिए मॉड्यूल तैयार करने हेतु इनटैक और अहमदाबाद विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता करार किया गया है।

रेल सेवा (आचरण) नियम 1966

नियुक्ति के बाद प्रत्येक रेल कर्मचारी को रेल सेवा आचरण)नियम 1966 का पालन करना होगा

नियम 3 : सामान्य (1) प्रत्येक रेल कर्मचारी हमेशा

i. **पूर्ण सत्य-निष्ठा रखेंगे**

ii. **कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेंगे और**

iii. **ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो**

नियम 3 (क) : तत्परता और सौजन्य

कोई भी रेल कर्मचारी :-

(क)अपनी रेल सेवा का निष्पादन सौजन्य के बिना नहीं करेगा

(ख)अपनी कार्यालय डिलिंग में जनता के साथ अथवा अन्यथा ढुलमुल नीतियों को नहीं अपनाएगा अथवा उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में देरी नहीं करेगा।

नियम 3 (ख) : सरकारी नीतियों का पालन

प्रत्येक रेल कर्मचारी हमेशा:-

i. **विवाह की आयु, पर्यावण के संरक्षण, वन्य जीवन के संरक्षण तथा सांस्कृतिक विरासत के बारे में सरकारी नीतियों के अनुसार ही आचरण करेगा।**

ii. **महिलाओं के प्रति अपराध के निवारण के संबंध में सरकारी नीतियों का पालन करेगा**

नियम 3 (ग) : कामकाजी महिलाओं के साथ यौन शोषण का निषेध

(1) कोई भी रेल कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी महिला के साथ यौन शोषण के कृत्य में शामिल नहीं होगा

(2) प्रत्येक रेल कर्मचारी जो कार्य स्थल पर प्रभारी है वह कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन शोषण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।

नियम 4 : रेल सेवक के निकट संबंधी को किसी कंपनी अथवा सरकारी फर्म में नौकरी दिलाना

कोई भी रेल सेवक प्रत्येक्ष अथवा अप्रत्येक्ष रूप से अपने परिवार के सदस्य को किसी कंपनी अथवा फर्म में नौकरी दिलाने के लिए अपने पद के प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा।

नियम 5 : राजनीति और चुनाओं में भाग लेना

(1) कोई भी रेल सेवक किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा संगठन जो राजनीति में भाग लेता है, उसका सदस्य नहीं बनेगा अथवा चंदे के रूप में अथवा अन्य रूप में सहायता नहीं करेगा और किसी राजनीतिक आंदोलन अथवा गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(2) यह प्रत्येक रेल सेवक का कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में भाग लेने से रोके। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

नियम 6 : यूनियन एवं एसोसिएशन के साथ जुड़ना

कोई भी रेल सेवक ऐसी किसी एसोसिएशन या यूनियन का निर्माण नहीं करेगा या उससे नहीं जुडेगा जिनका उद्देश्य सरकार के हित या अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरूध्द हो।

नियम 7 : प्रदर्शन

कोई भी रेल सेवक ऐसे किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा जो भारत की एकता और सुरक्षाके विरूद्ध है, विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रेखेगा, जनादेश, शिष्टता, नैतिकता का पालन करेंगा और न्यायलय की अवमानना तथा मान हानि से दूर रहेगा।

नियम 8 : प्रेस और प्रचार माध्यमों के साथ संबंध

कोई भी रेल कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आंशिक अथवा पूर्ण रूप से किसी तरह के संपादन अथवा समाचार पत्र अथवा आवधिक प्रकाशन या अन्य प्रकाशन अथवा किसी इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रबंधन में शामिल नहीं होगा किंतु जहां सहभागिता पूरी तरह साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा सरकारी ड्यूटी को पूरा करने के प्रयोजन से हो, वहां पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे मामलों में रेल सेवक द्वारा स्पष्ट किया जाए कि उसके अभिव्यकत विचार उसके अपने विचार है तथा सरकार के विचार नहीं है।

नियम 9 : सरकार की आलोचना

कोई भी रेल सेवक अपने नाम से अथवा अन्यथा ऐसी कोई सामग्री न लिखेगा न कहेगा जिसका सरकार और उसकी नीतियों पर आलोचनात्मक प्रभाव पडता हो और जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा विदेशी राष्ट्र के बीच संबंध तनाव पूर्ण होते हों।

नियम 10 : समिति के समक्ष साक्ष्य

कोई भी रेल कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति अथवा समिति अथवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जांच में साक्ष्य नहीं देगा। विभाग, सरकार अथवा न्यापालिका द्वारा संचालित जांच में साक्ष्य के लिए पूर्व अनुमति आवश्क नहीं होगी। रेल सेवक को अनुमति दिए जाने के पश्चात भी वह अपने साक्ष्य में सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करेगा।

नियम 11 : सरकारी जानकारी देना

प्रत्येक रेल सेवक सत्यनीष्ठा के साथ अपनी सेवा करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) तथा उसके अधीन नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सूचना प्रदान करेगा।

किंतु कोई भी रेल सेवक अपनी सेवा के निष्पादन में सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश के बिना प्रत्येक्ष अथवा अप्रत्येक्ष के रूप से कोई सरकारी दस्तावेज अथवा उसका हिस्सा अथवा कोई वर्गीकृत जानकारी किसी रेल कर्मचारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देगा जिसको ऐसे दस्तावेज अथवा वगीकृत जानकारी देने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है।

नियम 12 : चंदा

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी चंदे को स्वीकार नहीं करेगा और न चंदा मांगेगा अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए चंदा उगाहने के कार्य में शामिल नहीं होगा।

नियम 13 : उपहार

कोई भी रेल सेवक स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्य अथवा अन्य किसी व्यक्ति को अपनी और से कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

इस प्रावधान के अंतर्गत उपहार का अर्थ मुफ्त परिवहन, होटल में रहना और खाना अथवा निकट संबंधी और ऐसे मित्र जिन से उसका कार्यालयीन वास्ता नहीं है उन्हें छोड कर अन्य किसी व्यक्ति से कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। आकस्मिक रूप से अथवा मामूली सत्कार को उपहार नहीं माना जाएगा।

रेल सेवक अपने निकट संबंधी और निजी मित्रों, जिनसे उसका कार्यालयीन वास्ता नहीं है, से उपहार ले सकता है किंतु इसकी रिपोर्ट उसे सरकार को प्रस्तुत करनी होगी यदि उनका मूल्य निम्न से अधिक है :-

i. समूह “क” के रेल सेवक द्वारा यदि उपहार 25000/- रूपये का है
ii. समूह “ख” के रेल सेवक द्वारा यदि उपहार 15000/- रूपये का है
iii. समूह “ग” के रेल सेवक द्वारा यदि उपहार 7500/- रूपये का है

अन्य किसी मामले में रेल सेवक सरकार की अनुमति के बिना उपहार स्वीकार नहीं करेगा यदि उपहार का मूल्य निम्न से अधिक है:-

i. समूह “क” और “ख” के रेल सेवक द्वारा यदि उपहार राशि 1500/- रूपये की है
ii. समूह “ग” के रेल सेवक द्वारा यदि उपहार रशि 500/- रूपये की है

नियम 13 (क) : दहेज

कोई भी रेल सेवक :-

i. दहेज न तो लेगा और न देगा, अथवा
ii. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर वधु के परिजनों से दहेज की मांग करेगा, जैसा भी दहेज का मामला हो

नियम 14 : रेल सेवको के सम्मान में प्रदर्शन

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मानार्थ अथवा सम्मान सूचक भाषण अथवा वक्तव्य नहीं देगा। यह प्रतिबंध औपचारिक विदाई समारोह पार्टी तथा जनता अथवा संस्थानों द्वारा आयोजित सामान्य मनोरंजन समारोहो पर लागू नहीं होगा।

नियम 15 : निजी व्यापार अथवा रोजगार

कोई भी रेल सेवक पूर्व अनुमति के बीना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी व्यापार, व्यवसाय, रोजगार में शामिल नहीं होगा तथा बीमा कंपनियों अथवा बैंक या सहकारी संस्थाओं का व्यापार बढाने अथवा रेडियो/टेलीविजन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होगा।

ऐसे मामलों में मानार्थ, सामाजिक, धर्मदाय, कलात्मक, वैज्ञानिक कार्य या खेलो में शामिल होने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

रेल सेवक को प्रशासन को सूचित करना होगा यदि उसके परिवार का कोई सदस्य, संबंधी व्यापार अथवा व्यवसाय आदि में संलिप्त है।

नियम 15 (क) : सरकारी आवास को किराय पर देना और खाली करना

कोई भी रेल सेवक रेलवे आवास को किराये अथवा पट्टे पर अथवा अन्यथा किसी को रहने के लिए नहीं देगा। रेल सेवक निर्धारित समय सीमा में सरकारी आवास का आबंटन रद्द होने पर आवास को खाली करेगा।

नियम 16 : निवेश, उधार लेना और देना

रेल सेवक स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टेबाजी से दूर रहेगा बार-बार शेयर अथवा अन्य निवेश की खरीद और बिक्री को सट्टेबाजी माना जा सकता है।

नियम 17 : दिवालियापन और आदतन कर्जदारी

किसी रेल सेवक को अपनी निजी ममलो को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए जिससे आदतन कर्जदारी और दिवालियापन से बचा जा सके। यदि किसी रेल सेवक के विरूद्ध कर्ज की लेनदारी के बारे में वसूली का कोई कानूनी मामला हो अथवा उसे दिवालिया घोषित किया गया हो तो वह तथ्यों के साथ कानूनी कार्यवाही की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा।

नियम 18 : चल, अचल तथा मूल्यवान संपत्ति

प्रत्येक रेल सेवक नियुक्ति के समय अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के बारे में एक विवरणी देगा तथा समूह “क” और “ख” के अधिकारी प्रति वर्ष ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेंगे। रेल प्रशासन द्वारा किसी भी समय रेल सेवक से उसकी परिसंपत्तियों और देयताओं की विवरणी मांगी जा सकती है।

प्रत्येक रेल सेवक किसी भी अचल संपत्ति को बिक्री, खरीद, लीज, मॉर्टगेज अथवा उपहार आदि के रूप में खरीदने और बेचने के लिए इसे प्रशासन के पूर्व संज्ञान में लाएगा। किंतु जिस व्यक्ति का कार्यालयीन वास्ता हो उसे ऐसे किसी भी विनिमय के लिए पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

प्रत्येक रेल सेवक को प्रशासन को चल संपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के मामले में एक महिने के भितर प्रशासन को रिपोर्ट देनी होगी, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य रेल सेवक के दो महीने के मूल वेतन अधिक हो। किंतु यदि ऐसे विनिमय में सरकारी व्यक्ति शामिल हो तो इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

नियम 18 (क) : भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान तथा विदेशियों आदि के साथ विनिमय पर प्रतिबंध

भारत से बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण अथवा निपटान, विदेशी, विदेशी सरकार अथवा विदेशी संगठन आदि से विनिमय से पहले पूर्व अनुमति आवश्यक है।

नियम 19 : वितंडना और रेल सेवक का आचरण

कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनमति के बिना न्यायलय अथवा प्रेस के समक्ष सरकारी कर्मचारी होने के नाते वितंडता का कृत्य नहीं करेगा। निजी व्यक्ति के प्रति वितंडता के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है लेकिन इसकी जानकारी दी जाए।

नियम 20 : गैर-सरकारी समर्थन अथवा अन्य प्रभाव

कोई भी रेल सेवक वरिष्ठ अधिकारी पर उसके हितों को पूरा करने के लिए राजनैतिक प्रभाव नहीं डालेगा जो उसकी सरकारी सेवा के मामलों को प्रभावित करते हो।

नियम 21 : विवाह के बारे में प्रतिबंध

कोई भी रेलवे सेवक जिसका जीवन साथी जीवित हो उसके साथ विवाह अथवा करार नहीं करेगा। यह प्रतिबंध उस रेल सेवक पर लागू नहीं होगे जिनके लिए उसे अलग निजी कानून शासित करते है। रेल सेवक अथवा अन्य पार्टी विशेष आधार पर ऐसा कर सकते है।

नियम 22 : नशीले पदार्थ तथा दवाओं का सेवन

कोई भी रेल सेवक ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा तथा जन संपर्क स्थलों पर उनका उपयोग करने से दूर रहेगा। रेल सेवक नशीले पदार्थों अथवा दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करेगा। रेल सेवक जो ड्रेन पासिंग की ड्यूटी करते है वे अपनी ड्यूटी से आठ घंटे पहले नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे।

नियम 22 (क) : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर न रखना

कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो

नियम 23 : व्याख्या

इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रपति जी का होगा

नियम 24 : शक्तियों का प्रत्यायोजन

सरकार के अधिकार सक्षम प्राधिकारियों को सौंपे गए हैं।

नियम 25 : निरसन और बचाव

नियम 26 : बाध्यता में सभी प्रशासनिक अनुदेश लागू होंगे

कर्मचारी चार्टर

क्र .	मद		समय -सीमा
01	विभिन्न पोर्टलों जैसे सिंगल विंडो सेलग्राम , निवारण-सीपी , पर : पुन) निर्धारण , वरिष्ठताति एमएसीपी , बकाया राशि , पदोन्न , आदि मामलो◌ं सहित (कर्मचारियों कीप्राप्त शिकायतवेदनों का अभ्या/ निवारण/निपटान		आवेदन प्राप्त होने के कार्य 30 दिवस में
02	मंडल रेल प्रबंधक के साथ व्यक्तिगत मुलाकात		उसी दिन रे.प्र. उपलब्ध.यदि मं) नहीं है तो संबंधित अ.मं.रे.प्र. के साथ मुलाकात होगी (
03	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति	मामलों का मंडल स्तर पर अनुमोदन	दिन 90
		मामले जिनका मुख्यालय स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है	मंडल में दिन 60+ मुख्यालय में 30 दिन
04	अंतिम निपटारों का भुगतान	अधिवर्षिता: सेवानिवृत्ति के दिन	
		स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिपत्र-ग/त्यामृत्यु/: दिन 60 (विवादित मामलों के लिए-केवल गैर)	
05	चयन और उपयुक्तता के जरिए पदोन्नति	पिछले पैनल के जारी होने से एक वर्ष के भीतर	
06	पारस्परिक स्थानांतरण सहित स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र-	आवेदन प्राप्त होने के कार्य दिवसों के भीतर 15 निपटान)चाहे आवेदन अग्रेषित करने अथवा अस्वीकृत करने का मामला हो (	
07	रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल से चयनित उम्मीदवारों को बुलावा पत्र भेजना रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल से प्राप्त पैनल के सत्यापन सहित	पैलन परिचालित होने के कार्य दिवस के भीतर 30	
08	क) विभिन्न प्रकार के अग्रिमोंऋणों का / अनुमोदन	प्रशासनिक अनुमोदन कार्य दिवस में 07	

	ख) अनुमोदन के पश्चात अग्रिमोंऋणों तथा / बकाया राशिका भुगतान	अगले बिल साइकिल में वेतन के साथ जैसा लागू) (हो	
09	भविष्य निधि निकासी	आवेदन प्राप्त होने के कार्य दिवस के भीतर 07 सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन अनुमोदन प्राप्त होने के दिन के भीतर 07 भुगतान	
10	भविष्य निधि विवरण जारी करना	उसी दिन	
	सेवा अभिलेख देखना	वर्ष में एक बार	
12	उच्च शिक्षादेन, पासपोर्ट, -संपत्ति लेन , पत्र-प्रतिनियुक्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण	जहां सतर्कता क्लीयरेंस आवश्यक न हो आवेदन प्राप्त होने के कार्य दिवस में तथा अन्य 14 लों में 30 दिनमाम	
13	अनुशासन एवं अपील मामलों का निपटान	बड़ी शास्ति 150 -दिन छोटी शास्ति 31 -दिन	
14	पास/पिट ीओ जारी करना	कार्य दिवस 01	
15	सीटीजीकृति और की स्वीओवर टाइम/यात्रा भत्ते/ भुगतान	कर्मचारी से दावा प्राप्त होने की तारीख से 45 कृतिकार्य दिवस के भीतर स्वी अगले बिल साइकिल में जैसा लागू हो) वेतन के) साथ भुगतान	
16	कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था	जहां से अधिक महिला कर्मचारी 05 कार्यरत हैं, वहां कार्यालय में महिला शौचालय तथा कपड़े बदलने के कमरे वस्थाकी व्य	मार्च 2018 ,तक
		कार्यालय भवनों में रंगशन रोगन (स्टे- (सहित	प्रत्येक वर्ष
		चिह्नितनामित कार्यालयों में / र किया गया पानीफिल्ट	चार्टर जारी होने के दिन के भीतर 60
		निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर और इंटरनेट संपर्क की व्यवस्था	चार्टर जारी होने के दिन के भीतर 60
17	छुट्टी आवेदनों का निपटान	क) आकस्मिक छुट्टी: कार्य दिवस 01 ख) अर्जित सवेतन छुट्टीपितृत्व/ट्टी छुमातृत्व/: कार्य दिवस 07 ग) भारत से बाहर छुट्टी: कार्य दिवस 30	
18	वरिष्ठता सूची जारी करना	प्रत्येक वर्ष में एक बार	

पुणे मंडल द्वारा विकसित रेल कार्मिक एप

अगली जानकारी देने से पहले हम आपको “Railkarmikseva” वैब साइड़ तथा आपकी सुविधा के लिए मोबाईल पर इसके अनुप्रयोग के बारे में सूचित करना चाहेंगे।

पुणे मंडल कार्मिक विभाग दवारा रेल कार्मिक सेवा नाम से नया एप प्रारंभ कर कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में नई पहल है। यह एप वेब पोर्टल (रेलकार्मिकसेवा.इन टाइप करके) के रूप में उपलब्ध है और एंड्रॉइड एप डाउनलोड करने के लिए “गूगल प्ले स्टोर” के माध्यम से “Railkarmikseva” टाइप करें।.

(i) उपयोग के लिए अनुदेश : एप खोलने के लिए आपका 11 डिजिट वाला पी.एफ. नंबर यूजर आई.डी. है और प्रारंभिक पासवर्ड दिनः माहः वर्ष के प्रोफार्मा में जन्मतिथि है (दोनों के बीच डॉट का उपयोग करें अर्थात् 01.01.81)। (* प्रथम लॉगिन पर पासवर्ड बदलना अनिवार्य होगा)

(ii) इस एप में कर्मचारियों के लाभ के लिए निम्नलिखित सुविधाएं है

कर्मचारियों की शिकायत, वरीयता सूची, परिपत्र, अधिसूचनाएं, रेल आवास पंजीकरण, वेतन का अवलोकऩ, ई-सेवापुस्तक. आयकर फार्म, कार्यालय आदेश, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, शेष छुट्टी,संभाविक पारस्परिक स्थानांतरण पंजीकरण, ई-नामन आदि तथा और भी एप विकसित किए जाएंगे।

कृपया एंड्रॉइड एप को स्थापित करें और हमारे संपर्क में बने रहें, इससे आपको सभी जानकारी मिलने में मदत मिलेगी और आपकी कोई समस्याएं है तो उसे निपटाने में प्रशासन के साथ संपर्क बना रहेगा।

किसी भी जानकारी के लिए आप बॉक्स में संदेश भेज सकते हैं अथवा रेलवे फोन क्र.013-55589 / 55598, पीएंडटी क्र. 020-26105589/26105598 पर संपर्क कर सकते है।

V - संभावित पारस्परिक स्थानांतरण :

- कर्मचारी भारतीय रेल के किसी भी मंडल पर स्थानांतरण के अनुरोध का पंजीकरण करवा सकता है।
- सिस्टम द्वारा अपने आप उपयुक्त मिलान कर कर्मचारी को ऑफ लाइन सहमति एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी।
- **पंजीकृत रेल कर्मचारी सेवा पंजिका, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आयकर, वेतन पर्ची, अधिसूचनाओं, कार्यालय आदेशों, वरिष्ठता सूची, चयन, क्वार्टर आवेदन, स्थानांतरण अनुरोध, छुट्टी खाते, पास खाते के लिए गूगल प्ले स्टोर से Rail Karmik Seva App अपलोड कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।**

यह - नई पेंशन योजना

दिनांक 01.01.2004 को या इसके पश्चात् नियुक्त रेल कर्मचारियों के लिए

- इस योजना के तहत् श्रेणी I तथा श्रेणी II दो तरह के खाते हैं।
- दिनांक 01.01.2004 को या इसके पश्चात् नियुक्त रेल कर्मचारियों के लिए श्रेणी I अनिवार्य है।
- श्रेणी I में मूल वेतन का . 10% अंशदान + महंगाई भत्ता (+ नई पेन्शन योजना यदि हो)
- इसकी कटौती यह हर माह के वेतन से की जाएगी। सरकार द्वारा उतना ही अंशदान दिया जाएगा। दोनों निकटतम रू में राऊण्ड ऑफ होगा।
- कटौती रेल सेवा में नियुक्ति के माह से प्रारंभ की जाएगी।
- इस योजना के तहत प्रत्येक रेल कर्मचारी को यूनिक 16 डिजीट की स्थायी पेन्शन खाता संख्या जारी की जाएगी।
- 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर जमा राशि में स्वयं की ओर से जमा राशि की 25% राशि की निकासी अनुदेय है। पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 3 निकासी अनुमत है।
- श्रेणी I अंशदान तथा निवेश को गैर निकासी योग्य पेंशन श्रेणी I खाते में रखा जाएगा।
  टियर II वैकल्पिक है।
- श्रेणी II द्वारा जमा अंशदान की राशि अलग खाते में रहेगी जिसकी निकासी रेल कर्मचारी के विकल्प देने पर की जा सकती है।
- श्रेणी II में कोई सरकारी अंशदान नहीं होगा।
- जिसका वार्षिक लेखा विवरण अधिशेष, मासिक अंशदान, सरकारी अंशदान और जमा ब्याज आदि का विवरण कर्मचारी को हर वर्ष दिया जाएगा।

XI - सामूहिक बीमा - पात्रता

(i) यह योजना कैंटिन कर्मचारियों सहित सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू है।

(ii) 1 जनवरी को सेवा में नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से पात्र होगा।

(iii) कर्मचारी नियुक्ति सामूहिक बीमा के तहत् भर्ती की तारीख के अनुसार होगा। यदि वह वर्ष के अंत में भी नियुक्त होता है तो आगामी वर्ष की 01 जनवरी से वह इस योजना में शामिल होंगा।

XII - सेवानिवृत्त उपदान (अगर लागू हो)

यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को भुगतान किया जाता है। न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा और सेवा उपदान/ एक समय मुश्त लाभ पेंशन के रूप में पाने का पात्र है। अर्हक सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक छः माह के लिए सेवानिवृत्ति के तिथि पर माह का बेसिक वेतन सहित उस माह का महंगाई भत्ते का @ ¼ के रूप में गणना सहित सेवानिवृत्ति उपदान। उपदान राशि के लिए न्यूनतम सीमा नहीं है। 33 वर्ष की अर्हक सेवा या 16 माह का वेतन सहित महंगाई भत्ता जो 20 लाख से अधिक हो वह देय सेवानिवृत्ति उपदान है।

XIII - मृत्युउपदान

सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवाकाल में मृत्यू हो जाती है उसके नामिनी तथा परिवार के सदस्य को एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। मृत कर्मचारी द्वारा की गई न्यूनतम सेवा के बारे में निर्धारण नहीं है। निम्नानुसार मृत्यु उपदान की पात्रता नियमित की गई है-

अर्हक सेवा	**दर**
एक वर्ष से कम	**दो बेसीक पे**
एक वर्ष या अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	**6 बेसिक पे**
5 वर्ष या अधिक परंतु 11 वर्ष से कम	**12 बेसिक पे**
11 वर्ष या अधिक परंतु 20 वर्ष से कम	**20 बेसिक पे**
20 वर्ष या अधिक	**सेवाकाल अधिक होने पर अधिकतम 33 गुना हर वर्ष हर छः माह पूरा होने की गणना के अनुसार**

दिनांक 1.1.2016 से मृत्यू उपदान की ग्राह्य अधिक राशि रू **20** लाख है।

XIV - छुट्टी का नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरणसीसीएस (छुट्टी) नियमों के अंतर्गत प्रदान किया गया लाभ है और वह पेंशन लाभ नहीं है। सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी सेवक दवारा जमा की गई छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी जो सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिन के नकदीकरण के लिए मान्य है।

सेवा के दौरान छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम 6 बार अर्थात 60 दिनों के लिए पूरी सेवा में एक समय में 10 दिन तक के लिए किया जा सकता है बशर्ते नियमों एवं शर्तों को पूरा किया जाए।

XVI - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई एक नवीकरण वाली आवधिक बीमा योजना है जो बीमा कराए जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर रू.2,00,000/- का वार्षिक बीमा प्रदान करती है। इसके लिए प्रति वर्ष रू.330/- का मामूली प्रीमियम भरना होता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अत्यंत लाभकारी योजना है जिसके लिए संबंधित बैंक खाते से आधार कार्ड जोड़ना होता है।

पॉलिसी का विवरण :

प्रवेश आयु	**न्यूनतम**	**अधिकतम**
	18 **वर्ष**	50 **वर्ष**
अधिकतम परिपक्वता आयु	55 **वर्ष**	
पॉलिसी की अवधि	1 **वर्ष (प्रति वर्ष नवीकरण)**	
बीमित राशि	**रू.** 2,00,000	
प्रीमियम राशि	**रू.** 330	
छुट अवधि	**योजना में नामांकन की तारीख** 45 **दिन**	

मृत्यु लाभ :

पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर रू.200000 का मृत्यु कवरेज पॉलिसी के लाभार्थी को प्रदान किया जाता है।

परिपक्वता लाभ :

चूंकि यह पूरी तरह एक आवधिक बीमा योजना है पीएमजेजेबीवाई में कोई परिपक्वता अथवा सरेंडर लाभ नहीं प्रदान किया जाता।

कर लाभ :

इस योजना के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आय कर अधिनियम की धारा 80 (सी) के अंतर्गत आय कर से मुक्त है।

XVII - प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना हैं।

यह योजना 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनका बैंक में खाता है। इसका वार्षिक प्रीमियम 12 रू. है जो अपने आप खाते से काट लिया जाएगा। दुर्घटना बीमा योजना में 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष के लिए बीमा कवर रखा जाता है।

लाभ :

क्र.	**लाभ तालिका**	**बीमित राशि**
i.	**मृत्यु**	**रू.** 2 **लाख**
ii.	दोनों आंखों की पूरी और ठीक न हो सकने वाली क्षति के लिए अथवा दोनों हाथों या दोनों पैरों की क्षति अथवा एक आंख की क्षति और एक हाथ या एक पैर की क्षति होने पर	**रू.** 2 **लाख**
iii.	एक आंख अथवा एक हाथ या एक पैर की पूरी या ठीक न हो सकने वाली क्षति के लिए	**रू. 1 लाख**